विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय किये जाने की अनुमति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण

क्र0 सं0	आवेदन कर्ता का नाम व पता एवं आवेदन का दिनांक	क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण खाता/खसरा संख्या	आवेदन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की आख्या एवं दिनांक	सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की आख्या/संस्तुति/दिनांक	भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में निर्णय/शासनादेश एवं शर्तों का विवरण	आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में कारण	अन्य प्रसांगिक विवरण।
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	इन्दरसिंह पुत्र जियालाल ग्राम बराल तहसील रोहडू हि0प्र018.6.2007	ग्राम कामड़ा तह0 मोरी के कुल खसरा सं0 20 कुल रकवा 0.701 है0	संख्या 1811/सात–भूलेख–भूमि क्रय अनु0/2007–08 दि0 12.02.2008 के द्वारा कृषि एवं बागवानी हेतुभूमि क्रय की अनुमति दी गयी है।	उप जिलाधिकारी पुरोला के पत्र दि0 10 जुलाई 2007	नियत शर्तों के अनुसार अनुमति प्रदान की गयी है। जो प्रदर्श क पर है।	–	–
2–	श्री कर्मचन्द चौहान पुत्र श्री अमरसिंह ग्राम बराल तहसील रोहडू हि0प्र018.6.07	ग्राम कामड़ा तहसील मोरी के कुल खसरा संख्या 20 तथा कुल रकवा 0.701 है0	संख्या 1810/सात–भूलेख–भूमि क्रय अनु0/2007–08 दि0 12.02.2008 के द्वारा कृषि एवं बागवानी हेतभूमि क्रय की अनुमति दी गयी है।	उप जिलाधिकारी पुरोला के पत्र दि0 10 जुलाई 2007	नियत शर्तों के अनुसार अनुमति प्रदान की गयी है। जो प्रदर्श क पर है।	–	–
3–	श्री प्रशान्त कुमार भट्टाचार्य मै0 जे0–61 जलवायु विहार,हीरानन्दनी गार्डन,पवाई मुम्बई40076 दिनांक 25.2.09	तसील पुरोला के मौजा खलाड़ी में कुल खसरा संख्या 1092 म. ,1093 म. कुल रकवा 0.196 है0	पत्र संख्या 2720/ सात–एम0बी0/भूलेख–08–09 दि0 16 अप्रैल,2009 के द्वारा नेचुरल वाटर फैक्ट्री के लिए भूमि क्रय हेतु शासन को आख्या प्रेषित।	उप जिलाधिकारी पुरोला की आख्या दि0 31.3.2009	शासनादेश सं0 3089 दिनांक 23 दिसम्बर,2011 के द्वारा नियत शर्तों के अनुसार भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है। जो प्रदर्श क पर है।	–	–
4–	मनोज कुमार नौटियाल मैनेजर सनफलैग पावर	तहसील पुरोला/मोरी के ग्राम भंकवाड़ के कुल खसरा संख्या 50	पत्र सं0 1865/ सात–एम0बी/भूलेख/08–09 दि0 18.2.09 द्वारा हनोल त्यूनी जल	उप जिलाधिकारी पुरोला की आख्या दि0 22.	स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर विचाराधीन है।	–	–

DLRC

29/6/13
सहायक भूलेख अधिकारी
उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी
कृते – जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

	लि0हनोल त्यूनी 3.10.2008	कुल रकवा 0.325,ग्राम कुकरेड़ा, के कुल खसरा संख्या 14 तथा कुल रकवा 0.729 तथा बेगल के कुल खसरा संख्या 11 कुल रकवा 0.742 तीनों गांव के कुल खसरा नम्बर 75 तथाकुल भूमि का रकवा 1.796 है0	विद्युत परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु शासन को आख्या प्रेषित।	01.2009			
5–	श्री प्रशान्त कुमार भट्टाचार्य रिजेन्सी एनर्जी लि0 रिबर व्यू लेन शमशेरपुर पौण्टा साहित हि0प्र015.10.2007	तहसील बड़कोट के ग्राम किसााला, के कुल खसरा नम्बर 135 कुल रकवा 1.689,ग्राम थान, के कुल खसरा नम्बर 59 कुल रकवा..1.506, नंगाणगांव के कुल खसरा संख्या 31 कुल रकवा 0..560 तथा ग्राम खनेड़ा के कुल खसरा संख्या 18 तथा कुल रकवा 0.748 है0 कुल खसरा संख्या 243 तथा तीनों ग्रामों की भूमि का कुल रकवा 4. 503 है0	पत्र सं0 4650/ सात–16/04–05 दि0 05 मई,2008 के द्वारा नेचुरल मिनरल वाटर फैक्ट्री के लिए भूमि क्रय हेतु शासन को आख्या प्रेषित।	उप जिलाधिकारी पुरोला की आख्या दि0 5. 3.2008	नियत शासनादेशानुसार शासन के पत्र संख्या 369 दिनांक 11 मार्च,2012 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो प्रदर्श क पर है।	–	–
6	समाजिक संस्था अजीम प्रेमजी एजूकेशन ट्रस्ट सरजापुर रोड बेंगलूर 7.6.2012	ग्राम मातली के कुल खसरा संख्या 28 कुल रकवा 2.156 है0 भूमि	पत्र सं0 9427/ सात–10/11–12दि0 1.8. 2012के द्वारा शिक्षण संस्थान के लिए भूमि क्रय हेतु शासन को आख्या प्रेषित।	उप जिलाधिकारी डुण्डा की आख्या दि0 27. 6.2012	नियत शासनादेशानुसार शासन के पत्र संख्या 369 दि0 11 मार्च,2012 शिक्षण	–	–

DLRC

29/6/13
सहायक भूलेख अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी
कृते - जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

					कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो प्रदर्श क पर है।		
7–	सीमा चौहान पुत्री कर्मचन्द ग्राम सिलोरा खुर्द तहसील कसौली हि0प्र0दि026.12.11	ग्राम हडवाड़ी तहसील मोरी के कुल खसरा सं0 03 कुल रकवा 1.280 है0 भूमि	संख्या 9727/सात–भूलेख/2012–13 दि0 28.8.2013 के द्वारा कृषि एवं बागवानी हेतभूमि कय की अनुमति दी गयी है।	उप जिलाधिकारी पुरोला की आख्या दि0 31.7.2012	– नियत शर्तों के अनुसार अनुमति प्रदान की गयी है। जो प्रदर्श क पर है।	–	–
8–	कर्मचन्द पुत्र अमर सिंह बराल रोहडू हि0प्र0 03.12.2011	ग्राम कामड़ा तहसील मोरी के कुल खसरा संख्या 16 तथा कुल रकवा 0.466 है0 भूमि	संख्या 9728/सात–भूलेख/2012–13 दि0 28.8.2012 के द्वारा कृषि एवं बागवानी हेत भूमि कय की अनुमति दी गयी है।	उप जिलाधिकारी पुरोला की आख्या दि0 31.7.2012	नियत शर्तों के अनुसार अनुमति प्रदान की गयी है। जो प्रदर्श क पर है।	–	–
9–	श्री विनोद गैरोला आई0टी0सी0132/12 कांवलीरोड़ देहरादून 7.8.2011	ग्राम कंडियालगांव, तहसील पुरोला के कुल खसरा संख्या 11 तथा कुल रकवा 0.434 है0	पत्र संख्या 9753/सात – भूलेख /11–12 दिनांक 29 अगस्त,2012 के द्वारा शिक्षण कार्य हेतु हेतु भूमि कय हेतु शासन को आख्या प्रेषित।	उप जिलाधिकारी पुरोला की आख्या दि0 26.11.2011	शासन स्तर पर विचाराधीन है।	–	–
10 –	श्री अनिल शर्मा/अजय शर्मा सी–486 द्वितीय तल नई दिल्ली 31.1.2013	ग्राम खरसाली तहसील बड़कोट के कुल खसरा संख्या 05 तथा कुल रकवा 2.34 बीघा (0.180 है0) भूमि	पत्र सं0 140/ सात–/12–13 दि0 4.4.2013 के द्वारा पर्यटन प्रयोजन के लिए भूमि कय हेतु शासन को आख्या प्रेषित।	उप जिलाधिकारी बड़कोट की आख्या दि0 25.3.2013	शासन स्तर पर विचाराधीन है।	–	–

डी0एल0आर0सी

सहायक भूलेख अधिकारी
उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी
कृते–जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय किये जाने की अनुमति से सम्बन्धित शर्तें

प्रदर्श–क

1– क्रेता धारा–129 ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर जैसी भी स्थिति हो,की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा ।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बंधित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा ।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर,जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा,उसी प्रयोजन के लिए करेगा,जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था,उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था,उससे भिन्न प्रयोजन के लिए विक्रय,उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है,उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/ जन जाति के न हों और अनुसूचित जाति/ जन जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है,उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी

DLRC

29/6/13
सहायक भूलेख अधिकारी
उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी
कृते - जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

7– संस्था द्वारा उर्जा विभाग,उत्तराखण्ड शासन के साथ पूर्व में किये गये परियोजना के क्रियान्वयन अनुबन्ध के अनुसार समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जायेगी,इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य हेतु किये जाने पर उक्त भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय ।

9– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से संबंधित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा ।

10– ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में,उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ।

11– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेंसी विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

13– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी ।

14– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से,जिसे शासन उचित समझता हो,प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।

DLRC

सहायक भूलेख अधिकारी
उत्तरकाशी ।

प्रभारी अधिकारी
कृते – जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।